न्यायालय : अवर न्यायाधीश–प्रथम, बेनीपुर ।

<u>हकीयत वाद सं0 32/2019</u>

Reg. No. 38/19

अर्जुन पासवान एवं अन्य......................................वादीगण ।

बनाम

कुशो दास एवं अन्य..प्रतिवादी।

03.06.2025 वादी की हाजरी है एवं प्रतिवादी राज्य अनुपस्थित है।

वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध वाद पत्र के अनुसूची–1 में उल्लेखित भूमि पर स्वत्व और अधिकार की उद्घोषणा एवं दखल कब्जा प्राप्ति हेतु दायर किया है। वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक–24.06.2019 को दायर किया। दिनांक–19.07.2019 को वाद का प्रतिग्रहण किया गया। प्रतिग्रहण के पश्चात् प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु नजारत एवं डाक से सम्मन निर्गत किया गया। इसी बीच वादी की ओर से एक आवेदन आदेश–39 नियम–1, 2 सह धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत दाखिल किया गया। जिसके कारणपृच्छा हेतु यह अभिलेख काफी समय से चला आ रहा था। इस बीच प्रतिवादी के विरूद्ध तामिला सम्पूष्ट करते हुए दिनांक–10. 09.2024 को एक पक्षीय आदेश पारित किया। तब से लेकर यह वाद वादी के एक पक्षीय साक्ष्य पर चला आ रहा था। वादी न तो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं और न ही वाद की अग्रिम कार्रवाई हेतु उपस्थित हो रहे हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी को अपने वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वाद **खारिज** किया जाता है ।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

अवर न्यायाधीश प्रथम,
बेनीपुर।
03.06.2025